# उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

| राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ- 226007<br>दूरभाष: +91 9151602229, +91 9151642229 | क्षे.का.: एच-169, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर- 201308<br>दूरभाष: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111 |
|---|---|

Website: www.up-rera.in, E-mail: contactuprera@up-rera.in, **Twitter**: https://x.com/UPRERAofficial?t=4uwoQBDIV3UWtl-tGBhPVA&s=08,
**Facebook**: https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL, **Youtube**: https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qaJaOVbA4fj-Oyao


प्रेस नोट- 15 फरवरी 2024

## उ.प्र. रेरा ने सुनवाई के दौरान अनुशासन सम्बन्धी आदेश जारी किए

- इन दिशा-निर्देशों से उ.प्र. रेरा की पीठों में अनुशासन तथा शिष्टाचार सुनिश्चित होगा।
- पीठों में सहज कार्य संचालन तथा शिकायतों का समुचित निस्तारण सुनिश्चित होगा।

लखनऊ/गौतमबुद्धनगरः श्री संजय आर. भूसरेड्डी, अध्यक्ष उ.प्र. रेरा द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2024 को उ.प्र. रेरा तथा उसकी पीठों के समक्ष सुनवाई के दौरान पक्षकारों तथा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के लिए ड्रेस कोड, अनुशासन तथा शिष्टाचार के सम्बन्ध में जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में उ.प्र. रेरा प्राधिकरण तथा उसकी पीठों में सुनवाई के लिए उपस्थित होने वाले अधिवक्तागण, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स, कम्पनी सेक्रेट्रीज़, कॉस्ट एकाउण्टेन्ट्स तथा पक्षकारों द्वारा पहने जाने वाले परिधानों, वीडियो- कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक गजेट्स तथा प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले अभिलेखों आदि से सम्बन्धित व्यवस्थाएं निर्धारित कर दी गयी हैं जिनका अनुसरण किया जाना अनिवार्य है।

उ.प्र. रेरा में तमाम हितधारकों की सुविधा तथा लाभ के लिए ई-कोर्ट्स की व्यवस्था है। रेरा के पीठासीन अधिकारियों तथा सम्बन्धित पक्षकारों को असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा कार्यवाही अव्यवस्थित हो जाती है अगर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयुक्त इलेक्ट्रानिक डिवाइस का उपयोग नहीं किया जाता या अपनी डिवाइस के स्पीकर्स को उचित समय पर स्विच ऑन तथा स्विच ऑफ करने पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्वभाविक है कि एक से अधिक स्पीकर ऑन होने पर या एक से अधिक डिवाइस से लाग-इन करने पर वर्चुअल हियरिंग में व्यवधान होता है। अतः पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता या अन्य प्रोफेशनल के लिए आवश्यक होगा कि वह कम्प्यूटर डेस्कटाप या लैपटाप या आई-पैड या नोटपैड से ही लाग-इन करें और सेल फोन या कैमरा का उपयोग न करें। रेरा प्राधिकरण या पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बाद ही पक्षकार सेल फोन से लाग-इन कर सकेंगे। पक्षकारों तथा उनके प्रतिनिधियों को सुनवाई को आडियों या वीडियो मोड में रिकार्ड करने से निषिद्ध कर दिया गया है। उनके द्वारा अपनी बारी पर ही अपने इलेक्ट्रानिक डिवाइस पर माईक्रोफोन तथा कैमरा ऑन किया जाएगा और बारी समाप्त होने पर उसे ऑफ कर दिया जाएगा। पक्षकारों तथा उनके प्रतिनिधियों की सलाह दी गयी है कि वह रेरा में सुनवाई के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस पर अध्यावधिक माइक्रोसाफ्ट टीम्स ऐप डाउनलोड कर लें।

अधिवक्तागण तथा पक्षकारों के अन्य प्रतिनिधि वकालतनामा या प्राधिकार पत्र अपलोड करने के पश्चात ही सुनवाई में प्रतिभाग कर सकेंगे और ऐसे पक्षकार जिन्होंने किसी प्रोफेशनल को प्रतिनिधित्व हेतु प्राधिकृत किया है, वह अपने अधिकृत प्रतिनिधि को असम्बद्ध करने के पश्चात या पीठासीन अधिकारी के अनुमति के पश्चात ही व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर पा सकेंगे।

सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा मात्र उन्हीं अभिलेखों को सुनवाई पोर्टल पर साझा किया जाएगा जो उन्होंने पहले से अपलोड कर रखे हैं। पक्षकारों द्वारा सम्बन्धित पीठों के ई-मेल एड्रेस पर कोई भी अभिलेख नहीं भेजा जाएगा।

श्री संजय भूसरेड्डी, अध्यक्ष उ.प्र. रेरा द्वारा इस सम्बन्ध में यह जानकारी दी गयी कि उ.प्र. रेरा द्वारा इन दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराया जाएगा और हितधारकों की सुविधा तथा लाभ के लिए आदेश की प्रति उ.प्र. रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि यह दिशा-निर्देश ई-कोर्ट्स में सहज कार्य संचालन में सहायक होंगे तथा समस्त हितधारकों के लिए लाभकारी होंगे क्योंकि पक्षकार अपनी बातों को बिना किसी व्यवधान के प्रभावी तथा स्पष्ट रूप से रख सकेंगे।